

डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, की अध्यक्षता में दिनांक-11.06.2018 (सोमवार) को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 47वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति - बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे : -

क्र०सं०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, द्वारा उप सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी।	पदेन-सदस्य	अनुपस्थित
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप-सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार।	पदेन-सदस्य के मनोनीत सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (से० नि० प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय)	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री अंजनी कुमार पाठक, प्रभारी प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य-सचिव	उपस्थित

2. कार्यसूची की मद संख्या : 01- विगत 46वीं बैठक, दिनांक-11.05.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. कार्यसूची की मद संख्या : 02- विगत 46वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, सभी विन्दुओं के समीक्षोपरान्त निम्नांकित विन्दुओं पर आवश्यक निर्देश देते हुए समर्पित प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

कृष्ण कुमा० नाग
13.6.18

(क) अनुपालन विन्दु क्रमांक 2(क) : भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, लातेहार स्तर से विद्यालय परिसर में किये जा रहे विभिन्न आश्रमों/भवनों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा एवं कतिपय विन्दुओं पर आवश्यक सुधार को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की दिनांक-19.02.2018 की सम्पन्न बैठक में श्री सचिच्छानन्द ठाकुर, पूर्व मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव सह-संयोजक, जांच समिति द्वारा सभी सदस्यों को तत्संबंधी पत्र प्रेषित किये गये थे। दिनांक-11.05.2018 को आहूत कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की बैठक में प्राचार्य द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया था कि जांच समिति के एक सदस्य लोहरदगा के सिविल इंजीनियर उक्त कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। तदनुसार, प्राचार्य को यह निर्देश हुआ था कि शेष सदस्यों को एतदर्थ कार्य हेतु अनुरोध किया जाय ताकि आश्रमों के निर्माण कार्यों में सुधार हो जाय तथा छात्रों को किन्हीं प्रकार की समस्याएँ न हों। प्राचार्य-सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बैठक में समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन में यह अभिलिखित किया गया कि श्री सच्चिदानन्द ठाकुर से बात की गई पर उनके अन्यत्र कार्यों में व्यस्तता के कारण उन्होंने सूचित किया कि रांची लौटने पर वे स्वयं प्राचार्य से सम्पर्क करेंगे।

दिनांक-08.06.2018 एवं 09.06.2018 को सभापति, कार्यकारिणी समिति ने नेतरहाट परिभ्रमण के क्रम में कुछ आश्रमों का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में संवेदक के प्रतिनिधि व इंजीनियर भी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय वर्षा हो रही थी, जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि कुछेक आश्रमों की छतों से पानी का रिसाव भी हो रहा है। कार्यों में सुधार की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बैठक में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि एवं सदस्य श्री विनोद कुमार कर्ण द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि चूंकि सभी निर्माण कार्य राज्य सरकार के विभागीय अर्थात् भवन निर्माण विभाग/भवन प्रमण्डल, लातेहार स्तर से किये जा रहे हैं; अतएव, तकनीकी विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी मामलों में सुधार हेतु सभापति द्वारा विभागीय सचिव, भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। सदस्यों के उक्त प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि सभी संचालित आश्रमों में आवश्यक सुधार हेतु लिखित प्रतिवेदन (जिसके विषय में केयर टेकर से निर्धारित कार्यों में त्रुटियाँ या कमियाँ को भी अवश्य मालूम कर ली जाय) सभी आश्रमाध्यक्षों से प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ सभापति को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सभापति द्वारा सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार

कुण्डली
13. 6. 18

से एतदर्थ मामलों में सुधार हेतु लिखित एवं मौखिक अनुरोध किया जा सके। विभागीय सचिव से अनुरोध हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. को अधिकृत किया गया।

(ख) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक 2 (ग) : पूर्व कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. द्वारा विद्यालय के वेबसाईट के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों हेतु चयनित सार्थ M/s Kreative Monk, Mumbai के प्रो. श्री भूषण कुमार द्वारा अबतक कार्यों को पूरा न किए जाने तथा दिये गये कार्यों को बिना सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये किसी दूसरे संवेदक को हस्तांतरण के संदर्भ में प्राचार्य को श्री भूषण कुमार से स्पष्टीकरण पूछने हेतु निर्देश दिया गया था। बैठक में उपस्थित प्राचार्य-सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री भूषण कुमार से विद्यालय के पत्रांक-934/28.05.2018 के माध्यम से कुछेक विन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिस पर श्री कुमार ने अपने प्रतिउत्तर में यह लिखा कि वर्णित कार्य उनके कार्यक्षेत्र में नहीं रहने के कारण वे वर्णित कार्य करने में असमर्थ हैं। चूंकि संबंधित मामला कई महीने पूर्व से ही चला आ रहा है एवं इस संबंध में कार्यकारिणी की एक उप-समिति भी गठित की गई थी। अतएव, प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि पूर्व गठित उप-समिति की एक बैठक यथाशीघ्र आहूत कराकर इसके निराकरण हेतु अंतिम रिपोर्ट आगामी बैठक के पूर्व सभापति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि आगामी बैठक में इस पर समुचित एवं अंतिम निर्णय लिया जा सके।

(ग) अनुपालन विन्दु क्रमांक (04) : दिनांक-23.05.2018 को सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. की पूर्वाहूत बैठक में प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, सहित अन्य सरकारी पदाधिकारियों के अपरिहार्य कारणों से रांची से बाहर व्यस्तता के कारण माननीया अध्यक्ष, सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. ने बैठक को स्थगित करने तथा बैठक की अगली तिथि यथाशीघ्र नियत करने का प्रस्ताव रखा। अतः औपचारिक तौर पर बैठक स्थगित रही। सामान्य निकाय के सदस्य श्री बजरंग बिहारी सिंह (पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय) ने माननीया अध्यक्ष जी को खेच्छा से अपनी पेंशन राशि का 01% (दस हजार रुपए) का चेक नेतरहाट विद्यालय कोष में जमा करने हेतु समर्पित किया। प्रो. नरेन्द्र नाथ पाण्डेय (सामान्य निकाय के सदस्य, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय) ने स्वरचित पुस्तक “रवीन्द्र नाथ ठाकुर की कहानियां और मेरे ऐडियो नाटक” की एक प्रति माननीया अध्यक्ष, सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. को समर्पित किया। उक्त दोनों ही सदस्यों को सामान्य निकाय के अन्य सदस्यों ने बधाई दी।

सभापति द्वारा अवगत कराया गया कि कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सामान्य निकाय समिति की वार्षिक बैठक में रखा जाना आवश्यक है। अतएव, बैठक में उपस्थित प्राचार्य-सह सदस्य सचिव को यह निर्देश हुआ कि सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. की बैठक शीघ्र आहूत कराने हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करेंगे ताकि विचारार्थ मुद्दों को आगामी वार्षिक बैठक में रखा जा सके। सभापति द्वारा भी सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि सामान्य निकाय की बैठक आहूत कराने हेतु वे स्वयं भी माननीया अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे।

- कार्यसूची की मद संख्या -03 :** वर्ष 2015 में समिति स्तर से नियुक्त दो शिक्षकों श्री तारकेश्वर पासवान एवं सुश्री सारणी राय की सेवा सम्पुष्टि का मामला विचाराधीन था। तदनुसार, एतदर्थ प्रस्ताव पर आवश्यक विचार एवं निर्णय हेतु तदविषयक मामला कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की दिनांक-19.02.2018 की आहूत बैठक में रखा गया था। बैठक में दोनों शिक्षकों के ACR में अभिलिखित कतिपय बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सेवा सम्पुष्टि को तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया था तथा यह भी निर्णय हुआ था कि सेवा सम्पुष्टि पूर्व सभापति एवं कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के अन्य सदस्य विद्यालय जाकर इन शिक्षकों की शिक्षण एवं कौशल दक्षता की जांच करेंगे एवं समर्पित रिपोर्ट/प्रतिवेदन के आधार पर ही सेवा सम्पुष्टि पर निर्णय लिया जायगा। समयाभाव एवं सदस्यों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों यथा सत्र 2017-18 के नामांकन, रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवस्तता के कारण दोनों शिक्षकों की शिक्षण दक्षता संबंधी जाँच कार्य पूरा नहीं किया जा सका। अतएव, निर्णय हुआ कि प्राचार्य-सह सदस्य सचिव दोनों परीक्ष्यमान शिक्षकों की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समिति के दो सदस्यों श्री एच.के.पी.सिन्हा एंव श्री विनोद कुमार कर्ण को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे तथा समिति के दोनों सदस्य स्वयं नेतरहाट जाकर इन शिक्षकों की शिक्षण एवं कौशल दक्षता की जांच करेंगे। तत्पश्चात्, प्राचार्य द्वारा समर्पित गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर दोनों सदस्य अपना समेकित प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. को उपलब्ध करायेंगे। छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य एवं सदस्यों के गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर ही इस पर समुचित निर्णय कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की आगामी बैठक में लिया जायेगा।

कृष्ण तुमा ११८
13.6.18

05. कार्यसूची की मद संख्या -04 : प्राचार्य-सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि संविदा पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को वर्तमान में छठे वेतनमान के पूर्वदिश के अनुरूप महँगाई भत्ता 113% ही भुगतान किया जा रहा है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रभावी संकल्प संख्या - 1229/वि., दिनांक-25.05.2018 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों का अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता संशोधित करते हुए 142% भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित वित्त विभाग से प्रतिनिधि के प्राप्त मंतव्य के आधार पर विद्यालय में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को भी दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से 142% महँगाई भत्ता भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।

06. कार्यसूची की मद संख्या -05 : नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2018-19 के नामांकन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया गया है जिसमें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.07.2018 तक निर्धारित है। अधिक से अधिक संख्या में आवेदन आ सकें इस विन्दु पर सदस्यों द्वारा विचार-मंथन किया गया। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेतरहाट के तर्ज पर खोले गए अन्य विद्यालयों के नामांकन हेतु भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा आवेदन प्रकाशित किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2018 तक निर्धारित है। सभापति एवं अन्य सदस्यों का यह विचार हुआ कि अधिकाधिक बालकों का आवेदन आ सके इसके लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय की आधारभूत एवं स्वर्णिम विशेषताओं/ख्यातियों एवं यहां के पूर्ववर्ती छात्रों की सफलताओं की जानकारी को समावेश करते हुए एक विस्तृत विज्ञापन का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाना आवश्यक है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर एक विस्तृत विज्ञापन तैयार करने के लिए समिति के सदस्य सह पूर्ववर्ती छात्र (डा.) प्रो.एन.एन.पाण्डेय को प्राधिकृत किया गया। (डा.) प्रो. पाण्डेय से यह अनुरोध किया गया कि तत्संबंधी विज्ञापन तैयार कर यथाशीघ्र प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे तथा प्राचार्य तैयार किए गये विज्ञापन में आवश्यक सुधार एवं मंतव्य के साथ अन्य सदस्यों का परामर्श प्राप्त करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन यथाशीघ्र राज्य के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेंगे। साथ ही यह भी निर्देश हुआ कि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विज्ञापन साप्ताहिक रूप से समाचार पत्रों/टेलियो/दूरदर्शन में किये जायें ताकि राज्य के अधिवासियों को विद्यालय की समुचित जानकारी हो सके एवं अधिक से अधिक संख्या में छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। विज्ञापन के प्रचार-प्रसार एवं आवेदकों की संख्या में वृद्धि के लिए जिला के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से समन्वय स्थापित करने हेतु वर्तमान

शिक्षकों/प्रशिक्षकों नोबा बन्धुओं एवं अन्य सदस्यों की सहायता लेने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया गया।

07. कार्यसूची की मद संख्या -06 : विद्यालय में प्राचार्य के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु समिति की नियुक्ति सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2011 के अनुसार विज्ञापन का प्रकाशन रोजगार समाचार पत्र (एम्प्लोयमेन्ट न्यूज) एवं स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था जिसमें आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 तक निर्धारित थी। विभिन्न आवेदकों से प्राप्त आवेदनों के स्क्रीनिंग हेतु नियमावली की कंडिका-04(b) के अनुरूप स्क्रीनिंग समिति तथा नियमावली की कंडिका-04(d) में वर्णित नियमों के आलोक में चयन समिति का गठन कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 45वीं बैठक में की गई थी। कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए थे। स्क्रीनिंग समिति ने नियमावली में वर्णित निर्धारित अर्हता प्राप्त 16 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए निमंत्रित किया था जिनमें से 12 उम्मीदवारों ने (6व्यक्ति दिनांक-06.06.2018 तथा 6 व्यक्ति दिनांक-07.06.2018) रांची अवस्थित समिति कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी। इन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के उपरान्त अन्तर्वेक्षा, सभी 3 सदस्यों व अध्यक्ष की चयन समिति द्वारा ली गई। चयन समिति द्वारा अधिमानता के क्रम में तीन उम्मीदवारों की अनुशंसित पैनल सूची को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त पैनल सूची को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। पैनल सूची में अनुशंसित प्रथम स्थान पर डा. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, माउन्ट लिटेरा जी स्कूल, बाढ़, पटना को नियुक्त हेतु अग्रेतर कार्यवाही के लिए सभापति, कार्यकारिणी समिति को प्राधिकृत किया गया।

08. कार्यसूची की मद संख्या -07 : विज्ञापन संख्या 02/2017 के संदर्भ में तृतीय वर्गीय कर्मियों के नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार से आवश्यक निर्देश शीघ्र लिए जाने हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया। प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि यथाशीघ्र कार्मिक विभाग का मंतव्य/निर्देश प्राप्त कर लिया जाय ताकि नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जा सके।

09. कार्यसूची की मद संख्या -08 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विज्ञापन संख्या-02/2017 में प्रकाशित पद पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों का स्क्रीनिंग कर लिया गया है। इस पर सभी सदस्यों का यह विचार हुआ कि कार्मिक विभाग से प्राप्त मंतव्य/विमर्श के आधार पर पूर्व-गठित चयन समिति द्वारा

कुण्ठा कुमार नारा
13.6.18

परीक्षा/अन्तर्वाक्षा की तिथि निर्धारित कर एतदर्थ प्रक्रिया पूरी कर ली जाय। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि चयन समिति के एक सदस्य श्री मुरलीधर कोटवार सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। इसके आलोक में श्री मुरलीधर कोटवार सेवा-निवृत्त सह-शिक्षक के स्थान पर (डा.) प्रसाद पासवान, सह-शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को चयन समिति में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया। शेष सभी निर्देश पूर्व निर्गत आदेश के आधार पर ही अनुपालनीय होंगे।

10. कार्यसूची की मद संख्या -09 : सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. की दिनांक-26.07.2017 की कार्यवाही के निर्देशानुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुशंसित 23-सूत्री विन्दु के अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन के संदर्भ में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि विभाग द्वारा प्रेषित 23-सूत्री प्रतिवेदन एवं पूर्व प्राचार्य द्वारा विभाग को समर्पित किए गये प्रतिवेदन को कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सभी सदस्य अपने-अपने मंतव्य को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर सकें। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक के निर्देशानुसार अद्यतन प्रतिवेदन प्रशासी विभाग को समर्पित किये जायेंगे।

11. कार्यसूची की मद संख्या -10 (अन्यान्य) :

अन्यान्य-10(1) : विद्यालय में अनुशासन-संबंधी मामलों में सभापति एवं कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों के विद्यालय/आश्रमों में किए गए औचक निरीक्षणों से प्राप्त अनुभवों को बैठक में सभी सदस्यों के बीच अभिव्यक्त किया गया। सदस्यों को सूचित किया गया कि सदस्य लगातार अनुशासन संबंधी मामलों में सुधार के लिए विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में कई एक महत्वपूर्ण निर्देश शिक्षकों एवं आश्रमाध्यक्षों को दिये जा चुके हैं; परन्तु फलाफल चिन्ताजनक ही प्रतीत होता है। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक-08.06.2018 एवं 09.06.2018 को वे स्वयं एवं सामान्य निकाय समिति, ने.वि.स. के सदस्य श्री अमर नाथ दर तथा विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र (डा.) त्रिनाथ मिश्र ने विद्यालय की शैक्षणिक एवं अनुशासनिक गतिविधियों का अनुभव किया। विद्यालय में अनुशासनिक संबंधी कई एक गतिविधियों यथा निर्धारित समय में छात्रों का सम्मेलन में न आ पाना, प्रातः योगा के समय छात्रों को कुछेक आश्रमों में पाया जाना, पर सदस्यों ने घोर चिंता व्यक्त की। इस पर

सभी सदस्यों का यह सम्यक् अभिमत हुआ कि आश्रम ही विद्यालय की रीढ़ है अतएव इसके सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना अत्यावश्यक है। शिक्षकों का आश्रम के प्रति पूर्ण गंभीर होना एवं कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निवहन करना उनका परम कर्तव्य है। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य आश्रमाध्यक्षों को अनुपालन हेतु एक कार्य विवरणी यथाशीघ्र तैयार कर सभी आश्रमाध्यक्षों को निर्गत कर देंगे। प्राचार्य को आश्रमों से संबंधित कार्य विवरणी तैयार करने के लिए सभापति द्वारा कार्यकारिणी के शिक्षाविद् सदस्य श्री एच. के. पी. सिन्हा द्वारा लिखित विद्यालय की पत्रिका सर्जना विशेषांक 2017 में पृष्ठ 126 में छपे For House Master तथा डा. त्रिनाथ मिश्र (प्रथम बैच के पूर्ववर्ती छात्र व सेवानिवृत आई. पी. एस. जिन्हें देश में पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदों पर कार्य कर चुकने का अनुभव भी है) द्वारा सभापति के आग्रह पर उनके ई-मेल पर भेजे गए प्रस्तावों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गई जिन्हें भी यथासंभव समाहित करते हुए तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिससे भविष्य में आश्रमाध्यक्ष कार्य दायित्वों में पूर्ण सचेत व सफल रहें। असफल पाये जाने की स्थिति में, कार्यकारिणी समिति उनपर यथोचित अनुशासनात्मक निर्णय लिये जाने में संकोच नहीं करेगी।

अन्यान्य-10(2) : विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री विनोद कुमार कर्ण सह-सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. द्वारा प्राचार्य को अवगत कराया गया कि विद्यालय के स्वायतत्त्व पूर्व सभी राजपत्रित शिक्षकों का ACR प्राचार्य द्वारा अभिलिखित कर उसे वार्षिक रूप में प्रशासी विभाग के पास भेज जाता था। समिति के गठनोपरान्त सम्प्रति उक्त कार्य नहीं किए जा रहे हैं जबकि शिक्षकों के संदर्भ में समीक्षी पदाधिकारी अब कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. है। इस पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि एवं सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि प्राचार्य यथाशीघ्र एक ACR का प्रारूप तैयार कर प्रतिवर्ष शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार, कार्यकारिणी समिति ने.वि.स. के स्वीकृत्योपरान्त ही इन्हें वार्षिक वेतन-वृद्धि एवं इनकी सेवा पुस्तिका में सम्मिलित की जायेगी। विद्यालय में छात्र शिक्षकों की कौशल दक्षता की जानकारी कार्यकारिणी समिति को न हो यह अत्यंत ख्रेद का विषय है। विषय विशेष में सफलता-असफलता सम्बन्धित शिक्षकों की शिक्षण कौशल दक्षता का प्रतीक होता है। शिक्षकों पर ही विद्यालय का भविष्य निर्भर है। अतएव, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि वे यथाशीघ्र ACR का प्रारूप तैयार कर सभापति से अनुमोदित कराते हुए तत्संबंधी निर्णय पर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र करेंगे।

अन्यान्य-10(3): बैठक के दौरान समिति के एक वरीय सदस्य एवं सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक-07.06.2018 के माध्यम से विद्यालय के ही एक सह-शिक्षक, श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा निबंधित डाक से बिना अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसारित कराया गया पत्र प्रेषित किया गया है। बिना अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसारित कराए उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करना अनुशासन में गिरावट का एक उदाहरण परिलक्षित होता है। इसपर वित्त विभाग के प्रतिनिधि का सुझाव हुआ कि श्री सिंह से इस कार्य के लिए एक स्पष्टीकरण तुरन्त पूछा जाय कि क्यों नहीं उनके इस कृत कार्य के विरुद्ध उनपर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के विहित प्रावधानानुसार यथोचित कार्रवाई किया जाय? सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उनके स्पष्टीकरण को प्राचार्य अपनी गोपनीय रिपोर्ट के साथ कार्यकारिणी की अगली बैठक में रखें।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग

(कृष्ण कुमार नाग)

13. 6.18

सभापति

कार्यकारिणी समिति

नेतरहाट विद्यालय समिति।